प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 16.01.2026

- **थाना सट्टी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना सट्टी पर दिनांक 13.01.2026 को वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि मेरी नाबालिग पुत्री उम्र 15 वर्ष के साथ सत्यम पुत्र रमेश निवासी ग्राम ट्योंगा थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो बना लेना तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शोषण करना तथा दिनांक 08.01.2026 को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मेरी नाबालिग पुत्री को अपने घर ले जाकर 04 दिन तक घर में बंद रखना, जिसके सम्बन्ध में थाना सट्टी पर मु0अ0सं0 03/2026 धारा 64(2)m/137(2)/127(3)/115(2)/352 बीएनएस व 5(L)/6 पॉक्सो एक्ट बनाम 1. सत्यम पुत्र रमेश निषाद, 2. जियालाल पुत्र अज्ञात, 3. रामढ़केली पत्नी रमेश, 4. शंकर पुत्र रमेश निवासीगण ग्राम ट्योंगा थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना सट्टी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सत्यम पुत्र रमेश निवासी ग्राम ट्योंगा थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात को दिनांक 16.01.2026 को ग्राम ट्योंगा-रमपुरा मार्ग पर बारेलाल के खेत में बनी झोपड़ी के पास से गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध के विधिक कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम, पता-

1. सत्यम पुत्र रमेश उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम ट्योंगा थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

2. थानाध्यक्ष श्री कालीचरण
3. हे0का0 584 राजू त्यागी